प्रेस नोट-

थाना मोठ, जनपद झाँसी

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **पुलिस टीम की बदमाश के साथ हुए मुठभेड़ में 01 घायल बदमाश 25 हजार रुपये का इनामिया अपराधी गिरफ्तार,**
- **कब्जे से चोरी की बैट्री, घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा, खोखा व जिन्दा कारतूस एवं मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 27.05.2025 को थाना मोंठ क्षेत्रान्तर्गत थाना स्थानीय पुलिस, स्वाट व सर्वेलन्स पुलिस टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान धौरी बाबा मन्दिर के आगे खिरिया ग्राम की तरफ कच्ची रास्ता जंगल में बदमाश के साथ हुये पुलिस मुठभेड़ में बदमाश भूपेन्द्र ग्वाला के बाएं पैर में गोली लगी। जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर जीवन रक्षा की दृष्टिगत उसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

अभियुक्त के कब्जे से थाना मोठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2025 धारा 303(2) भादवि से सम्बन्धित चोरी की 01 बैट्री व घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 मोटर साइकिल अपाचे (बिना नम्बर प्लेट, इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर अस्पष्ट) बरामद हुआ।

अभियुक्त भूपेन्द्र ग्वाला थाना मोठ पर पंजीकृत अभियोग में वाँछित एवं थाना रक्सा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2025 धारा 313 बीएनएस में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है तथा अभियुक्त भूपेन्द्र के विरुद्ध जनपद में अलग-अलग थानों पर 10 से अधिक अभियोग पंजीकृत है। उक्त गिरफ्तारी, बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 04.03.2025 को वादी श्री जफरूरद्दीन पुत्र रूस्तम खान निवासी ग्राम मेवात थाना जिरकाफिरोज मेवात (राजस्थान) द्वारा दिये गये लिखित तहरीर पर थाना मोठ पर मु.अ.सं. 48/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग के सफल अनावरण एवं संबन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा था, जिसके क्रम में दिनांक 26.03.2025 को अभियुक्त मनोज अहिरवार पुत्र सुरेश अहिरवार निवासी बिजौली निकट अजनी माता मन्दिर थाना प्रेमनगर जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की बैट्री बरामद हुयी तथा पूछताछ के दौरान

अभियुक्त भूपेन्द्र ग्वाला पुत्र कन्हैयालाल ग्वाला निवासी ग्राम ग्वालटोली थाना प्रेमनगर जिला झांसी का नाम प्रकाश में आया था। अभियुक्त भूपेन्द्र ग्वाला उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे थे। जिसके क्रम में आज दिनाँक 27.05.2025 को थाना मोंठ क्षेत्रान्तर्गत थाना स्थानीय पुलिस, स्वाट व सर्वेलन्स पुलिस टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान धौरी बाबा मन्दिर के आगे खिरिया ग्राम की तरफ कच्ची रास्ता जंगल में बदमाश के साथ हुये पुलिस मुठभेड़ में बदमाश भूपेन्द्र ग्वाला उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है।

<u>अभियुक्त-</u> भूपेन्द्र ग्वाला पुत्र कन्हैयालाल ग्वाला, निवासी ग्वाल टोली हंसारी, थाना प्रेमनगर, जिला झाँसी उम्र करीब 32 वर्ष (घायल)

<u>बरामदगी-</u> चोरी की बैट्री, 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, मोटर साइकिल अपाचे (बिना नम्बर प्लेट, इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर अस्पष्ट)

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u> भूपेन्द्र ग्वाला पुत्र कन्हैयालाल ग्वाला, निवासी ग्वाल टोली हंसारी, थाना प्रेमनगर, जिला झाँसी उम्र करीब 32 वर्ष (घायल)

1. मु0अ0सं0 216/2013 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बबीना, झाँसी
2. मु0अ0सं0 826/2015 धारा 379 भादवि, थाना नवाबाद, झाँसी
3. मु0अ0सं0 1170/2015 धारा 41, 411 भादवि, थाना नवाबाद, झाँसी
4. मु0अ0सं0 3998/2015 धारा 41, 411 भादवि, थाना नवाबाद, झाँसी
5. मु0अ0सं0 3999/2015 धारा 41, 411 भादवि, थाना नवाबाद, झाँसी
6. मु0अ0सं0 474/2016 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट, थाना नवाबाद, झाँसी
7. मु0अ0सं0 18/2019 धारा 394, 412 भादवि, थाना रक्सा, झाँसी
8. मु0अ0सं0 335/2023 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट, थाना प्रेमनगर , झाँसी
9. मु0अ0सं0 09/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 313 बीएनएस, थाना रक्सा, झाँसी
10. मु.अ.सं. 48/25 धारा 303(2) बीएनएस, थाना मोठ, जनपद झाँसी।

<u>पुलिस टीम-</u> थाना मोठ, स्वाट व सर्वेलन्स पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही।